कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः फा. 15(14)सविरा/नियम/89 पार्ट–3 दिनांक 4/4/2014

अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियॉ,
.....खण्ड

विषयः– जिला सहकारी बुनकर संघों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के जिला सहकारी बुनकर संघों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित जिला सहकारी बुनकर संघों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि0, जयपुर।
6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियॉ, (समस्त)
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

जिला बुनकर सहकारी संघों के प्रस्तावित संशोधित उपनियम

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	टिप्पणी
24.	साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी व निम्नलिखित प्रकार से आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी। वर्ष में वर्षवार हिसाब बन्द होने के तीन माह के अन्दर ही बैठक अवश्य बुलाई जायेगी, यह सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।	**साधारण सभा –** **प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
32(2)	**वार्षिक अधिवेशन** गत वर्ष का कार्य विवरण, आय व्यय परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकारी अधिकारियो व निरीक्षण पत्र तथा तत्संबंधी विषयों पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये मत पर विचार	गत वर्ष का कार्य विवरण, आय व्यय परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकारी अधिकारियो व निरीक्षण पत्र तथा तत्संबंधी विषयों पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये मत पर विचार करना। **अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**	
32(11)	**कोई प्रावधान नहीं।**	**नया जोड़ा गया।** **(i) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु साधारण निकाय अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।** **(ii) सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
33.(1)	संघ का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं संचालक मण्डल होगा, जो निम्न प्रकार बनेगा:– 1.प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों से 11 प्रतिनिधि, जिनका चुनाव संघ के सदस्यता रजिस्टर में पंजीयन सदस्य समितियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जावेगा। अगर चुनाव निर्विरोध नहीं होता है तो प्रत्येक अधिकृत समिति को 11 प्रतिनिधि चुनने के लियें 11 मत देने का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रकार से चुने गये संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं मंत्री को चुनेंगे।	संघ का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं संचालक मण्डल होगा, जो निम्न प्रकार **बनेगा:–** **संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। संचालक मण्डल के उपरोक्त 12 निर्वाचित सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों में से चुने जावेंगे। संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराये जावेंगे।** **संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संघ व उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विध्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना अधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।** प्रत्येक अधिकृत समिति को 11 प्रतिनिधि चुनने के लियें 11 मत देने का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रकार से चुने गये संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं मंत्री को चुनेंगे।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27एवं 34 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
34.	संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का होगा।	संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का होगा। **संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के**	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी

		आकस्मिक रूप से रिक्त हुए। स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।	सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
41.(22)	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटीयों को भेजना।	
49.	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संघ, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थातः– (क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ड़) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 122–क में किये गये संशोधन के अनुसार ।